तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.19/2020**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18.8.2020	पत्रावली आज पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी मनोज लवानी पुत्र वासुदेव लवानी, जाति– सिंधी, निवासी– सब्जी मंडी, गुप्ता बिल्डिंग, पुलिस थाने के पीछे, आबूरोड़, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, श्री माजीसा प्रोविजन स्टोर, पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, आबूरोड़, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी मनोज लवानी ने आज एक प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया कि मेरे प्रकरण की सुनवाई दिनांक 11.8.2020 को होनी किन्तु मुझे अति आवश्यक कार्य से दो दिन पूर्व ही जैसलमेर जाना पड गया था, जिस कारण में समय पर सुनवाई में उपस्थित नही हो सका था, इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इस प्रकरण में आज सुनाई करवाना चाहता हूँ व अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ। मेरे विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त कर प्रकरण की आज ही सुनवाई करावे। प्रतिवादी मनोज लवानी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी मनोज लवानी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के पारित आदेश को निरस्त किया जाकर इस प्रकरण की पत्रावली को आज ही सुनवाई हेतु रखा गया है। प्रकरण में प्रतिवादी मनोज लवानी ने लिखित जवाब भी पेश कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा माउथ फ्रेशनर हिन्दुस्तान का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। वह मेरी फर्म से लिया गया था, मेरे पास इसका बिल मिसिंग होने के कारण मेरे पास उपलब्ध नही है, इसलिये मैं प्रस्तुत नही कर पाया। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ व मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अतः लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण की कार्यवाही को समाप्त करावे व मुझे इस वाद से मुक्त करावे। प्रकरण में प्रतिवादी मनोज लवानी द्वारा उक्तानुसार जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी मनोज लवानी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी मनोज लवानी ने अनुरोध किया कि उक्त माउथ फ्रेशनर हिन्दुस्तानी ब्राण्ड का बिल गुम हो गया है, वह भविष्य में बिल से माल क्रय व विक्रय करेगा तथा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करेगा। वह छोटा व्यापारी है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर, उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.10.2019 को प्रतिवादी मनोज लवानी की फर्म श्री माजीसा प्रोवजिन स्टोर, पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:30:25 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.19/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

सामने, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी मनोज लवानी से खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) के 12 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 180 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाहान के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./827/Act/2019/938 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) व अनसेफ पाया गया है। जिस पर प्रतिवादी के अपील आवेदन पर उक्त खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) के नमूनें के दूसरे भाग को जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को प्रेषित Certificate of analysis No.130F/FSSA/2020 Date 03-5-2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। रेफरल फूड लेब, मैसूर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर बैच नंबर व निर्माण तिथि अंकित नही की हुई पाई एवं Nutritional information भी लेबल पर अंकित नही पाई गई। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी मनोज लवानी ने उक्त खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनगर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया एवं न ही इस न्यायालय में ऐसा कोई बिल पेश किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी मनोज लवानी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ माउथ फ्रेशनर (हिन्दुस्तानी ब्राण्ड) का विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी मनोज लवानी पुत्र वासुदेव लवानी, जाति– सिंधी, निवासी– सब्जी मण्डी, गुप्ता बिल्डिंग, पुलिस थाना के पीछे, आबूरोड़, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, श्री माजीसा प्रोविजन स्टोर, पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आबूरोड़, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 8,000/– (अक्षरे रुपये आठ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी मनोज लवानी को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 02.9.2020 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.11.06 13:30:25 IST
Reason: SelfAttested